अलसिया पारधी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य व अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2048/2013)

6 दिसम्बर 2013

[माननीय न्यायाधिपति पी. सदाशिवम, रंजना प्रकाश देसाई, रंजन गोगोई]

जांच- सीबीआई को सौंपी गई - सरकारी अधिकारियों द्वारा गैर-अधिसूचित आदिवासी समुदाय की नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप- बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट - चश्मदीद गवाह के बयान पर विचार किए बिना राज्य पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर खारिज - अपील पर, अभिनिर्धारित- राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच में खामियां हैं - इसलिए, मामले जांच करने के लिए सीबीआई को नियुक्त किया जाता है।

अपीलार्थी ने एक रिट याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद 226 (बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट) दायर की जिसमें अपनी भतीजी, 14 वर्ष की नाबालिग लड़की, को पेश करने के लिए प्रार्थना की। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि लड़की को एक अन्य महिला 'के' के साथ वन अधिकारियों ने मछली

बाजार से उठाया था। 'के' किसी तरह बच गया, लेकिन अधिकारी लड़की को ले गए। अपीलार्थी ने स्थानीय पुलिस के साथ-साथ मुख्य वन संरक्षक को भी शिकायत दर्ज कराई। कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य पुलिस ने मामले की जांच की। उन्होंने वन अधिकारियों का बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत दो महिलाओं को गिरफ्तार किया था, लेकिन वे दोनों भाग गईं थी। 'के' का उच्च न्यायालय के निर्देश पर 164 सीआर.पी.सी. के तहत बयान भी दर्ज किया गया। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह गुमशुदगी व्यक्तिका मामला है।

इस न्यायालय में अपील में, विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या जांच करने में राज्य एजेंसी की ओर से कोई चूक हुई थी और क्या मामले के तथ्यों के कारण जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपना अनिवार्य था।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1. अपीलार्थी की शिकायत के आधार पर, राज्य पुलिस के जांच अधिकारी ने केवल वन विभाग के अधिकारियों के बयान दर्ज किए थे।

वन अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों के आलोक में, जिसमें कहा गया है कि शुरू में दो व्यक्तियों को उनकी जीप में ले जाया गया था और उन्हें पारधी समुदाय द्वारा छोड़ दिया गया थ, संबंधित जांच अधिकारी की आेर से वह जनता, जो प्रासंगिक समय पर मछली बाजार में इकट्ठी हुई थी उनके बयान लेखबद्ध करने थे। स्वीकृत रूप से पुलिस को जो कारण सबसे अच्छे से ज्ञान में थे, उन्होंने किसी से पूछताछ नहीं की थी या संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय लोगों से बयान नहीं लिए थे। उक्त दुर्बलता के आलोक में तथा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत **'के'** के स्पष्ट कथन को ध्यान में रखते हुए न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में लड़की को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने/पता लगाने में राज्य पुलिस द्वारा उचित और ईमानदारी से प्रयास नहीं किए गए। [पैरा 20 और 21] [829-बी, एफ-एच]

2. इसके अलावा, इस दावे के मद्देनजर कि अपहृत लड़की पारधी समुदाय से थी, एक विमुक्त जनजाति है और इस दावे के मद्देनजर कि पारधी समुदाय के लोगों को पुलिस और वन अधिकारियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, अपीलार्थी ने अन्य एजेंसी अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नए सिरे से जांच के लिए मामला निर्मित किया। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में अपहृत लड़की को पेश करने के लिए प्रार्थना की गई थी, लेकिन वर्तमान अपील में चर्चा और प्रथम दृष्टया

निष्कर्ष को देखते हुए, राहत दी गई है और कानून के अनुसार जांच करने और आगे बढ़ने के लिए सीबीआई को नियुक्त किया गया। [पैरा 22] [830-ए-सी]

पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य। (2010) 3 एससीसी 571: 2010 (2) एससीआर 979-अनुसरण किया गया। केस कानून संदर्भ: 2010 (2) एससीआर 979 अनुसरण किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2048/ 2013

म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के डब्ल्यूपी नंबर 3803/ 2011 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.04.2012 से।

अपीलार्थी के लिये प्रशांत भूषण प्रत्यर्थी के लिये विभा दत्ता माखिजा, सौरभ मिश्रा, आर्ची अग्निहोत्री।

न्यायालय का फैसला सीजेआई पी. सदाशिवम द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2011 की रिट याचिका संख्या 3803 में अंतिम निणर्य व आदेश दिनांक 09.04.2012 के विरूद्ध

निर्देशित की गई जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

3. संक्षिप्त तथ्य:

(ए) 10.02.2011 को, लगभग 4 बजे, बैतूल रेंज, जिला बैतूल के वन अधिकारियों की एक टीम, कुसुम, पत्नी तारबाबू पारधी और राजनंदनी, पुत्री अंकित पारधी उम्र 14 वर्ष को मछली बाजार से अपनी जीप में जबरदस्ती ले गई। जब घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने वन अधिकारियों के बल का विरोध करने की कोशिश की, तो कुसुम किसी तरह जीप से कूदने में सफल रही लेकिन नाबालिग लड़की राजनंदनी को वे लोग दूर ले गये।

(बी) अपीलार्थी अलसिया पारधी ने, अपहृत नाबालिग लड़की के चाचा होने के नाते, 13.02.2011 को थाना प्रभारी, कोतवाली बैतूल को शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि नाबालिग लड़की वन विभाग के अधिकारियों की हिरासत में है और उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया।

(सी) 14.02 2011 को, अपीलार्थी और उसके समुदाय के सदस्यों ने मुख्य वन संरक्षक, वन रेंज, बैतूल- प्रत्यर्थी संख्या 3 को शिकायत की, जिसमें उनसे वन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने और नाबालिग को रिहा करने का अनुरोध किया।

(डी) जब लड़की का पता लगाने के सभी प्रयास विफल हो गए। तब अपीलार्थी ने 24.02.2011 को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रार्थना की कि राजनंदनी को न्यायालय एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया जाए - प्रत्यर्थी संख्या 2 को नाबालिग लड़की के अपहरण और अवैध हिरासत में शामिल वन अधिकारियों के साथ-साथ आरोपियों को बचाने और बचाने में सहायक रहे लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

(ई) दिनांक 01.03.2011 को, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को लापता लड़की का शव पेश करने या प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 19.04.2011 को उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपीलार्थी को 02.05.2011 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल के समक्ष कुसुम को पेश करने का निर्देश दिया, जिस तारीख को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल उसका बयान दर्ज करेंगे आैर न्यायालय को भेजेंगे।

(एफ) दिनांक 02.05.2011 को, कुसुम का बयान दर्ज किया गया। दिनांक 13.07.2011 के आदेश के तहत उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुसुम ने राजनंदनी को उसके साथ पकडने वाले वन अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप लगाया था, यह माना गया कि

मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और राजनंदनी को न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु राज्य द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 को सुनवाई की अगली तारीख पर नाबालिग लड़की को पेश करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

(जी) 10.08.2011 को, यानी सुनवाई की अगली तारीख पर, राज्य के उप महाधिवक्ता ने मामले में एक रिपोर्ट दायर की और प्रस्तुत किया कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, राजनंदनी को वन अधिकारियों द्वारा हिरासत में नहीं लिया गया था। उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड को देखने और रिपोर्ट को संदिग्ध मानने के बाद, पुलिस को राजनंदनी की लाश पेश करने का एक और अवसर दिया और यह भी निर्देश दिया कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 उसे सुनवाई की अगली तारीख पर पेश करने में विफल रहती है, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश देने के लिए बाध्य किया जाए। दिनांक 27.08.2011 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पुनः प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर बैतूल के पुलिस अधीक्षक को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। 12.09.2011 को, जब पुलिस अधीक्षक, बैतूल ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें जांच की जा रही थी, तो उच्च न्यायालय ने पाया कि जिन वन अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे पुलिस द्वारा उन वन अधिकारियों के साथ कोई उचित जांच

नहीं की गई थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 को राजनंदनी को अदालत के समक्ष पेश करने का एक और मौका दिया। दिनांक 17.10.2011 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने फिर से न्यायालय के समक्ष एक प्रगति रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि राजनंदनी ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से तीन बार अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी पुलिस अधिकारी उसका पता नहीं लगा सके।

(एच) 07.04.2012 को, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने वन अधिकारियों के बयानों को स्वीकार करते हुए एक हलफनामा दायर किया और चश्मदीद गवाह कुसुम के बयान को कोई महत्व नहीं दिया। यह भी कहा गया कि पुलिस ने वन अधिकारियों की बात को शब्दश: स्वीकार कर लिया है।

(आई) 09.04.2012 को उच्च न्यायालय ने चश्मदीद गवाह कुसुम के बयान पर ध्यान दिए बिना, दिनांक 07.04.2012 की प्रगति रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि वर्तमान मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए अवैध और बलपूर्वक कारावास का नहीं है, बल्कि लापता व्यक्ति का मामला है। यह भी माना गया कि याचिका में इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि राजनंदनी को वन अधिकारियों या पुलिस द्वारा गलत तरीके से सदोष परिरोध किया गया है।

(जे) व्यथित होकर अपीलार्थी ने विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण और मध्य प्रदेश राज्य की विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री विभा दत्ता मखीजा को सुना गया।

5. इस अपील में विचार करने योग्य एकमात्र बिंदु यह है कि क्या जांच करने में राज्य एजेंसी की ओर से कोई चूक हुई है और अनिवार्य तथ्य व सामग्री जांच सीबीआई को सौंपने के लिए अनिवार्य थी?

6. दोनों पक्षों के दावे के गुण-दोष पर जाने से पहले, पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य बनाम डेमोक्रेटिक राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी, पश्चिम बंगाल व अन्य (2010) 3 एससीसी 571 के संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ लेना उपयोगी है जिसमें किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में जब राज्य ने सी बी आई को जांच सौपने के संबंध में पहले ही अपनी एजेंसी के माध्यम से जांच शुरू कर दी है। संविधान पीठ ने पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद हुए पैराग्राफ 68 और 69 में दिशानिर्देश तैयार किए जो इस प्रकार हैं:

"68. इस प्रकार, संवैधानिक योजना के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करने के बाद, हम निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

(i) संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार अंतर्निहित हैं और इन्हें किसी भी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी कानून जो ऐसे अधिकारों को निरस्त या कम करता है वह मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन होगा। भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर कानून के वास्तविक प्रभाव और असर को यह निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह मूल संरचना को नष्ट करता है या नहीं।

(ii) संविधान का अनुच्छेद 21 अपने व्यापक परिप्रेक्ष्य में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोडकर व्यक्तियों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है। अपने व्यापक अनुप्रयोग में उक्त अनुच्छेद न केवल आरोपी के अधिकारों का लागू करता है, बल्कि पीडित के अधिकारों को भी लागू करता है। किसी संज्ञेय अपराध के आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच प्रदान करने वाले नागरिक के मानवाधिकारों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, जिसमें उसके अपने अधिकार भी शामिल हो सकते हैं। कुछ स्थितियों में, अपराध का गवाह भी राज्य द्वारा सुरक्षा

की मांग कर सकता है और उसे राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(iii) संवैधानिक योजना और अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय को और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है, संसद का कोई अधिनियम मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियों को बाहर या कम नहीं कर सकता है। वास्तव में ऐसी शक्ति संविधान के भाग III और संविधान के अन्य भागों में सन्निहित उद्देश्यों को व्यावहारिक सामग्री देने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, एक संघीय संविधान में, संसद और राज्य विधानमंडल के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में सीमाएं शामिल होती है और इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए संसद के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण की आवश्यकता होती है कि क्या ऐसी सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। न्यायिक समीक्षा न केवल संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को प्रभावी बनाने के लिए, अंतिम मध्यस्थ के रूप में कार्य

करती है, बल्कि प्रत्येक इकाई द्वारा किसी भी उल्लंघन को दिखाना भी आवश्यक है। इसलिए, लॉर्ड स्टेन के शब्दों को उधार लेते हुए, न्यायिक समीक्षा को "शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों, कानून के शासन, संवैधानिकता के सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा की पहुंच" के संयोजन से उचित ठहराया जाता है।

(iv) यदि किसी विधायी कार्रवाई से संघीय ढांचे का उल्लंघन होता है, तो संविधान यह सुनिश्चित करके संघीय ढांचे की रक्षा करने का ध्यान रखता है कि न्यायालय संविधान के संरक्षक और व्याख्याकार के रूप में कार्य करते हैं और जब भी कोई प्रयास होता है, तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उपाय प्रदान करते हैं। इन परिस्थितियों में, संविधान को बनाए रखने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 32 या 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी निर्देश को संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

(v) संविधान द्वारा संसद पर प्रतिबंध और अधिनियम के तहत संसद द्वारा कार्यपालिका पर प्रतिबंध, संविधान के

अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायपालिका की शक्ति पर प्रतिबंध के समान नहीं है।

(vi) यदि एक ओर सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 2 और दूसरी ओर सूची की प्रविष्टि 2-ए और प्रविष्टि 80 के संदर्भ में, राज्य द्वारा सहमति देने के अधीन किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच की अनुमति है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों, एक असाधारण स्थिति में, न्यायालय को उसी शक्ति का प्रयोग करने से रोका जाएगा जिसे संघ क़ानून के प्रावधानों के संदर्भ में प्रयोग कर सकता है। हमारी राय में, संवैधानिक न्यायालयों द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेगा। वास्तव में, यदि ऐसी स्थिति में न्यायालय राहत देने में विफल रहता है, तो यह अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल होगा।

(vii) जब विशेष पुलिस अधिनियम स्वयं यह प्रावधान करता है कि राज्य की सहमति के अधीन, सीबीआई उस अपराध के संबंध में जांच कर सकती है जो अन्यथा राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था, न्यायालय न्यायिक की अपनी संवैधानिक शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है समीक्षा करें और सीबीआई को अधिकार क्षेत्र के भीतर जांच करने

का निर्देश दें। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6 द्वारा छीना, या कम नहीं किया जा सकता है। न्यायालयों की शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करने वाले किसी भी वैधानिक प्रावधान के बावजूद, संघ की शक्तियों पर विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत या संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा।

"69, अंतिम विश्लेषण में, संदर्भित प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सी बी आई को एक संज्ञेय अपराध की जांच करने का निर्देश दिया गया है, जो कथित तौर पर क्षेत्र के भीतर किया गया है। उस राज्य की सहमति के बिना कोई राज्य न तो संविधान की संघीय संरचना का उल्लंघन करेगा और न ही शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा और कानून में

मान्य होगा। नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक होने के नाते, इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास न केवल शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, बल्कि सामान्य रूप से भाग III द्वारा और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी है और सतर्कता से (viii) इतना कहने के बाद सविधान पीठ ने पेराग्राफ ७० की भी रूपरेखा तैयार की जो इस प्रकार है: "........इस असाधारण शक्ति का प्रयोग सावधानी से और अपवाद स्थितियों में किया जाना चाहिए जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकार लागू करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक हो सकता है.......''

8. संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में आइए इस पर विचार करें कि क्या अपीलार्थी ने इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का मामला बनाया है।

9. अपीलार्थी के वकील श्री प्रशांत भूषण ने हमारे ध्यान में लाया है कि उच्च न्यायालय एक गलत धारणा पर आगे बढ़ा कि याचिका में इस

आशय का कोई आरोप नहीं है कि राजनंदनी को जंगल में गलत तरीके से कैद किया गया था या पुलिस इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थी ने वन अधिकारियों के खिलाफ एक विशिष्ट आरोप लगाया था। यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में संहिता) की धारा 164 के तहत चश्मदीद गवाह कुसुम के बयान पर ध्यान देने में विफल रहा है, जिसमें उसने कहा था कि खुद व राजनंदनी का वन अधिकारियों ने अपहरण कर लिया था लेकिन वह किसी तरह भागने में सफल रही और अधिकारी राजनंदनी को अपने साथ ले गए। अंत में, यह बताया गया है कि पारधी समुदाय, एक विमुक्त जनजाति होने के कारण, उनसे जुड़े कलंक के कारण पुलिस और वन अधिकारियों द्वारा लगातार परेशान किया जाता है और अक्सर आस-पास के क्षेत्र में किए गए किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि जांच एजेंसी ने नाबलिग लडकी के साथ अपहरण किये गये चश्मदीद गवाह के बजाय आरोपी अधिकारियों के बयान पर विश्वास करना चुना।

10. राज्य की वरिष्ठ वकील सुश्री विभा दत्ता मखीजा ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके इस बात पर प्रकाश डाला कि संबंधित पुलिस अधिकारियों ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया है और उस लड़की का पता लगाने के लिए उनके द्वारा गहन प्रयास किए जा रहे हैं, जो 10.02.2011 से लापता है। यह आगे बताया गया है कि पुलिस की स्पष्ट रिपोर्टों और इस तथ्य को ध्यान

में रखते हुए कि पुलिस अधिकारियों ने पहले ही लापता लड़की का गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और राजनंदनी का पता लगाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है। तदनुसार, नए सिरे से जांच करने या इसे विशेष रूप से सीबीआई को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है।

11. प्रस्तुत सामग्री से ज्ञात होता है कि दिनांक 10.02.2011 को शाम 4.00 बजे बैतूल रेंज, जिला बैतूल के वन अधिकारी मछली बाजार में आए और कुसुम और राजनंदनी को जबरन उठा ले गया। अपीलार्थी का यह भी दावा है कि जब वहां मौजूद लोगों ने वन अधिकारियों के बल का विरोध करने की कोशिश की तो कुसुम जीप से कूद गई लेकिन राजनंदनी को वन अधिकारियों ने भगा दिया। अपीलार्थी का यह भी दावा है कि राजनंदनी-अपहृत नाबालिग लड़की उसकी भतीजी (बहन की बेटी) है।

12. राज्य की ओर से दावा किया गया है कि 10.02.2011 को वन अधिकारियों को सूचना मिली कि पारधी समुदाय के कुछ सदस्य अवैध रूप से बैतूल के मछली बाजार में प्रतिबंधित प्रजातियों के जानवरों की बिक्री में शामिल हैं। जब वन अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने 2-3 महिलाओं को प्रतिबंधित प्रजातियां बेचते हुए पाया, परिणामस्वरूप, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और प्रतिबंधित प्रजातियों को जब्त कर लिया गया।

हालाँकि, वन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई करने से पहले, पारधी समुदाय के लगभग 100-150 सदस्य अचानक इकट्ठे हो गए और अपनी हिरासत का विरोध किया और एक संगीता पारधी को छोड़कर सभी को छुड़ाने में कामयाब रहे, जो महिला वनरक्षक सुनंदा टेकाम को चोट पहुँचाने के बाद भागने में सफल रही। वन अधिकारियों के उक्त दावे का अपीलार्थी और उनके समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध किया है।

13. पारधी पुनर्वास संघ, बैतूल के अध्यक्ष अलसिया पारधी द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली बैतूल को संबोधित पत्र दिनांक 13.02.2011 का संदर्भ लेना उपयोगी है जो इस प्रकार हैः

"पारधी पुनर्वास संघ, बैतूल

उत्कृष्ट विद्यालय मैदान, पारधी कैम्प बैतूल (म.प्र.)

थाना प्रभारी

कोतवाली बैतूल

विषयः वन अधिकारियों द्वारा पारधी लड़की के अपहरण के संबंध में।

महोदय,

गुरुवार दिनांक 10.2.2011 को सायं 4 बजे मछली मार्केट के पास से मछली मार्केट में बैठी कुसुम पत्नी तार बाबू और राजनंदनी पुत्री अंकित पारधी उम्र 14 वर्ष को बैतूल रेंज के वन अधिकारी जबरन अपनी जीप में ले जा रहे थे। पारधी समुदाय के विरोध के बाद, उन्होंने कुसुम को रिहा कर दिया लेकिन वन अधिकारी राजनंदनी को जबरन अपहरण करने में सफल रहे। हमारे रेंज कार्यालय पहुंचने पर और बार-बार पूछने के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं। अपनी बेटी को ढूंढने की कड़ी कोशिशों के बाद पीड़िता के माता-पिता काफी परेशान और सदमे में हैं। हमें पता चला है कि लड़की वन विभाग की हिरासत में है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वन विभाग के अधिकारियों पर अपहरण का मामला दर्ज कर राजनंदनी को मुक्त कराया जाये ।

दिनांक: 13.2.2011

आवेदक,

एसडी/- अलासिया

(अलासिया पारधी)

अध्यक्ष

पारधी पुनर्वास संघ

बैतूल (म.प्र.)

साक्षीगण :-

1. संगीता पत्नी अलासिया

2. सौदागर पुत्र सदाशिव

3. परम सिंह पुत्र बलवंत

4. गुनी बाई पत्नी नंदू ढीमर मोहिला मिशन स्कूल, पटेल वार्ड

5. गुड़िया पत्नी कमल

भागरती बाई पत्नी सावने ढीमर, मोहिला मिशन स्कूल, पटेल वार्ड

सौदागीर, सुद्दी, कपूरी, ललिता, राजेश, सलीम, बाबू,

अलगवंती लक्ष्मी, लटिया, गजरा, कुसंडी, लंगड़, वतिया, कुसंडी, लंगड़, वतिया, गुड्डी, अनिता, रुखमणी, लगड़े, मंजी,

भरत सिंह, किशोरी, नाना साहेब, दुर्गेश, संजू, रितु, केशो, बुगदा, इंदुरा, राहुल"

14. पुनः दिनांक 14.02.2011 को अर्थात् अगले दिन अपीलार्थी द्वारा वन अधिकारियों द्वारा नाबालिग पारधी लड़की के अपहरण के संबंध में मुख्य वन संरक्षक, वन रेंज, बैतूल को इसी प्रकार का पत्र भेजा गया था।

15. उपरोक्त पत्रों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें कुसुम और राजनंदनी नामक दो व्यक्तियों को उठाए जाने का विशेष उल्लेख है।

16. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के बाद, किए गए अनुरोध के अनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह कुसुम को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 02.05.2011 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल के समक्ष पेश करे। मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान भी प्रासंगिक है, जो इस प्रकार हैः-

"रिट याचिका संख्या 3803/11 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार

गवाह संख्या 1 के लिए 02.05.2011 को लिया गया बयान

गवाह की स्पष्ट उम्र 25 वर्ष है।

प्रतिज्ञान में कहा गया है कि मेरा नाम कुसुम पत्नी तार बाबू, व्यवसाय मजदूरी, पता उत्कृष्ट विद्यालय मैदान, बैतूल, जिला बैतूल है।"

घटना करीब दो तीन माह पुरानी है। मैं मछली खरीदने बैतूल गया था। वहां नंदिनी नाम की महिला तीतर बेच रही थी, तभी वन विभाग की गाड़ी वहां आई, वन विभाग की गाड़ी में मौजूद कर्मचारियों ने नंदिनी को पकड़ लिया, मैं उसे बचाने गया तो वन कर्मचारियों ने मुझे भी पकड़ लिया और गाड़ी में डाल लिया, फिर कुछ देर बाद , मैं गाड़ी से उतर कर अपने डेरे पर गया और मैंने डेरा में चिल्लाते हुए कहा कि वन कर्मचारी नंदिनी को ले जा रहे हैं, वन कर्मचारी नंदिनी को ले गए और तब से नंदिनी का कोई अता- पता नहीं है।

आरओ एवं एसी	मेरे निर्देश पर टाइप किया गया
एसडी/-	एसडी/-
के.सी. यादव	के.सी. यादव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैतूल	बैतूल

17. कुसुम ने बयान में कहा कि वन अधिकारियों ने उन दोनों यानी उसे और राजनंदनी को उठा लिया, और कुछ समय बाद वह किसी तरह वाहन से कूदने में कामयाब रही। हालांकि, वन कर्मचारी राजनंदनी को ले गए और वह कहां है, उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। जैसा कि ठीक ही बताया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता की धारा 164 के तहत उसके बयान पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से गौर नहीं किया गया है।

18. अपीलार्थी के विद्वान वकील की शिकायत है कि पुलिस अधिकारियों ने केवल वन अधिकारियों से पूछताछ की है और इस तथ्य के बावजूद कि मछली बाजार में कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे, उनसे पूछताछ नहीं की गई और उनके बयान भी दर्ज नहीं किए गए।

19. उपरोक्त आरोप के आलोक में, हमने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि एक दुर्गेशी कुशराम, वनरक्षक कार्यालय वन परिक्षेत्र बैतूल ने अपने बयान में उल्लेख किया गया है कि दो महिलाए तीतर और बटेर बेचते हुए पाई गई और उन्हें महिला वन रक्षक सुनंदा टेकाम ने पकड़ लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि पारधी समुदाय के लोगों ने कार्यवाही का विरोध किया और वन रक्षक सुनंदा टेकाम के साथ मारपीट कर दोनों महिलाओं को छुड़ा लिया और उनके दल पर पथराव शुरू कर दिया। इसी तरह, एक अन्य वन रक्षक संजय जी धोटे ने भी दो महिलाओं को ले जाने और वन रक्षक के साथ मारपीट कर

दोनों को छुडाने के बारे में इसी तरह का बयान दिया है। वन रक्षक योगेश चौधरी, चंद्र शेखर सिंह और पंढरी नाथ ने भी इसी तरह के बयान दिए। वन रेंज अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद गौतम ने भी अपने बयान में यही बात दोहराई। इसी तरह वन विभाग के अन्य सभी अधिकारियों ने भी इसी तरह के बयान दिये।

20. उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी की शिकायत के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने केवल वन विभाग के अधिकारियों के बयान दर्ज किये हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि जब दोनों महिलाओं को एक व्यस्त मछली बाजार से उठाया गया था और धारा के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कुसुम के बयान के आलोक में पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से इस बारे में पूछताछ क्यों नहीं की। संहिता की धारा 164 में विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि वह अकेले भागने में सफल रही और राजनंदनी को वन अधिकारियों द्वारा एक वाहन में ले जाया गया।

21. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि वन रेंज अधिकारी, बैतूल, अर्थात धनराज सिंह, पंडारी नाथ, एल.पी. गौतम के साथ-साथ महिला वन रक्षक सुनंदा टेकाम के बयान दर्ज किए गए है और उनके बयानों के अनुसार, पूछताछ की गई। एक महिला, अर्थात संगीता पारधी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अपराध के तहत उसके द्वारा

10.02.2011 को किए गए अपराध के खिलाफ हिरासत में लिया जाना था लेकिन वह भाग गई और किसी अन्य महिला या व्यक्ति को उनके द्वारा हिरासत में नहीं लिया गया। हालाँकि उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को जीप में ले जाया गया था, लेकिन उस व्यक्ति को भी उनके समुदाय के लोगों ने छोड दिया। अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों के आलोक में, जिसमें उल्लेख किया गया था कि शुरू में दो व्यक्तियों को उनकी जीप में ले जाया गया था और उन्हें पारधी समुदाय द्वारा छोड दिया गया था। संबंधित जांच अधिकारी के लिये यह उचित था कि वह प्रासंगिक समय पर मछली बाजार में एकत्रित हुई जनता के बयान प्राप्त करें। बेशक पुलिस को जो कारण सबसे अच्छे से मालूम है, उन्होंने किसी से पूछताछ नहीं की थी या संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय लोगों से बयान नहीं लिए थे। उक्त दुर्बलता के आलोक में और मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता की धारा 164 के तहत कुसुम के स्पष्ट बयान को ध्यान में रखते हुए, हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में लड़की का पता लगाने/पेश करने में राज्य पुलिस द्वारा उचित और ईमानदार प्रयास नहीं किए गए थे।

22. उपरोक्त प्रासंगिक पहलू और इस दावे के अलावा कि अपहृत लड़की राजनंदनी पारधी समुदाय से है, एक विमुक्त जनजाति है और यह भी दावा है कि पारधी समुदाय के लोगों को पुलिस और वन अधिकारियों

द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, हमें लगता है कि अपीलार्थी ने अन्य एजेंसी, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नए सिरे से जांच का मामला बनाया है। यद्यपि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में अपहृत लड़की राजनंदनी को पेश करने के लिए प्रार्थना की गई थी, हमारी चर्चा और प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के मद्देनजर हम राहत देते हैं और कानून के अनुसार जांच करने और आगे बढ़ने के लिए सी.बी.आई. को नियुक्त करते है।

23. हमारे सामने रखी गई सामग्रियों का विश्लेषण स्पष्ट रूप से मामले को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा डेमोक्रेटिक राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों के भीतर लाता है। हम इसके द्वारा उत्तरदाताओं को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश देते हैं। सीबीआई को संबंधित मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है, अर्थात, राजनंदनी का पता, जिसे कथित तौर पर 10.02.2011 को वन अधिकारियों द्वारा ले जाया गया था और उसके बाद छह महीने की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त चर्चा केवल सीबीआई को जांच सौंपने के लिए है और हमने मामले की गुण दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।

24. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपील स्वीकार की जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीषा चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।